दिनांक-09.12.2019

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

डिस्पोजल गिलास एवं पानी पाउच जप्त, सड़क बाधा करने वालों पर लगाया गया जुर्माना , उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने 3 दिनों में वार्ड 12, वार्ड 03, वार्ड 05 वार्ड 19, वार्ड 23,24, 27 एवं 37 सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास, पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ तथा दुकान का सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कुल 53100 रुपये अर्थदण्ड वसूलते हुए दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी। नेहरू नगर चौक स्थित चंदूलाल अस्पताल द्वारा बाॅयो मेडिकल वेस्ट कचरा फैलाने पर जुर्माना वसूला गया। नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने कांट्रेक्टर काॅलोनी, चंद्रा मौर्या रोड, नेहरू नगर, तीन दर्शन मंदिर, इस्लाम नगर, नंदनी रोड, एवं संजय नगर के अंतर्गत आने वाले होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की।

जनसम्पर्क अधिकारी